| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज | नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 28/11/24 | पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत 136 एल0आर0एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ऑनलाईन करवाने की प्रक्रिया में जमाबंदी सेग्रीगेशन कार्य करते समय यह तथ्य संज्ञान में आया कि ग्राम गोरधनपुरा में खाता संख्या 105 अपवादित चल रहा है। बंदोबस्त में भी उक्त खाता संख्या 59 अपवादित ही दर्ज चला आ रहा है। बंदोबस्त से पूर्व मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व संलग्न प्रार्थना पत्र खातेदारान के उक्त खातेदारान भवाना के वारिसान के रूप में चार खातेदार क्रमशः हीरा, जयकिशन, कान्हा व आम्बा का नाम था जिसमें से आम्बा की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान का नाम हि0 1/4 में दर्ज बंदोबस्त जमाबंदी में दर्ज हो रहा है एवं शेष तीनों वारीसों का नाम 2/3 हि0 बरा0 में दर्ज हो रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि भवाना के वारिसान का नाम प्रत्येक का हि0 1/4 में दर्ज करने के आदेश फरमावें।<br><br>प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण की ओर से अपवादित खाता को सही किये जाने में पूर्ण सहमति दी गई।<br><br>पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया हे कि ग्राम गोरधनपुरा के खाता संख्या 105 अपवादित है। अप्रार्थीगण द्वारा भी अपवादित खाता को दुरूस्त करने में सहमति दी गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिये जाते है कि ग्राम गोरधनपुरा के खाता संख्या 105 खसरा नं0 130 के राजस्व रिकॉर्ड में हीरा, जयकिशन, क़ान्हा के नाम हिस्सा 3/4 हि0 बरा0 दर्ज करते हुये नियमानुसार इनके वारिसान के नाम दर्ज किये जावे। आदेश की प्रति पालना हेतु तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावे।<br><br>उक्त निर्णय आज दिनांक 28/11/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>28/11/24<br>उपखण्ड अधिकारी<br>कोटा<br>(मोहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा) | |